

तारीख हुक्म

12/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील-पक्षकारान
 उप.। अग्रणी क्रम। ता 9 की ओर
 जवाब पत्र पेश किया कि
 शा. का किया। वकील उप. पक्ष की
 बहस हुई गई। लक्ष्म वकील
 पक्षकारान, सारस्व दिवस मय फलामे
 एवं सल्लाही मिलेबाबा के अग्रनिर्धारण
 हेतु आवश्यक तीनों खिन्डुओं पर
 विचार करने के पश्चात् अग्रणी का
 अग्रणी पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act
 (किया) जाकर अग्रणीगत के
 विरुद्ध लॉटतला वाद इस आशय की
 जा रही है जाली डेपिडि ग्राम मांगरोल
 खाला सैख्या 806 कुल किला उच्च
 कुल लक्ष्म 1.87 ई. में मोरु खिन्डुकारि
 कि प्रख्यालक्ष्मि बनाये रखे। पत्रावली
 फलतः सुमाट डेपिडि नम्बर से क्रम
 की जाये। निर्णय आज दिनांक 12.2.25
 को लरे इंगलान लुनापा गया।